राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं, राजस्थान, जयपुर

कमांकः–ई–33/ने0स0/एम–68/नियु/2011/ दिनांकः–

आदेश

राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के अन्तर्गत नेत्र सहायक के पद हेतु निदेशालय के कमाकः–ई–33/सीधीभर्ती/ने0स0/10/476 दिनांक 30.7.10 के द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित अभ्यार्थियों को वरियता के आधार पर निदेशालय के कमांक ई–33/ने0स0/एम–68/नियु/11/07 दिनांक 7.1.11 के द्वारा चयनित किया गया है, को कार्यग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष की समयावधि के लिए प्रोवेशनल ट्रेनी के रूप में पूर्णतः अस्थाई तौर पर मासिक नियत पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) रूपये 6100/– पर नेत्र सहायक पद पर नियुक्ति प्रदान कर पदस्थापन उनके नाम के सम्मुख अंकित स्थानों पर किया जाता है। दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि (प्रोवेशनल ट्रेनी) सफलतापूर्वक पूर्ण करने तथा कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद पाये जाने पर ही पद की वेतन श्रृंखला 5200–20200, ग्रेड पे 1900 रूपये का न्यूनतम वेतन एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होगें। चयनित अभ्यर्थियों पर अंशदायी पेंशन योजना परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने के बाद लागू होगी ।

क0 सं0	आवेदक का नाम /पिता,पति का नाम	गृह जिला	जन्मतिथि	जाति वर्ग	पु/म	नियुक्ति हेतु पदस्थापन स्थान
1	हितेश कुमार चोटवानी /किशोर कुमार	जयपुर	14/10/79	GEN	M	सीएचसी नीमका थाना सीकर
2	अकरम खान /अब्दुल कदीर खान	धौलपुर	10/04/79	BC	M	पीएमओ करौली
3	उमेश खत्री /भगवानदास खत्री	नागौर	25/08/78	GEN	M	सीएचसी छोटीखाटू नागौर
4	नम्रता गुप्ता /देवेन्द्र गुप्ता	कोटा	30/03/86	GEN	F	राज0 चिकि0 बून्दी
5	योगेश जांगिड /नेमीचन्द जांगिड	जोधपुर	2/07/89	GEN	M	सीएचसी सादडी पाली
6	लोकेश कुमार तिवारी /बाबूलाल शर्मा	दौसा	14/01/80	GEN	M	सीएचसी तालेडा बून्दी
7	सुरेन्द्रकुमार गुप्ता /महादेव प्रसाद	सवाई माधोपुर	13/11/80	GEN	M	सीएचसी खण्डार सवाई माधोपुर
8	शैलेन्द्रकुमार जैन /राजेन्द्र जैन	झालावाड	13/07/78	GEN	M	सीएचसी खानपुर झालावाड
9	अनिल बाघेला /भंवरलाल बाघेला	जोधपुर	9/01/86	SC	M	सीएचसी आबूरोड सिरोही
10	उषा कुमावत /गिरधारीलाल कुमावत	जयपुर	11/09/87	BC	F	राजकीय जयपुरिया चिकित्सालय, जयपुर
11	नेहा सोनी /ओमप्रकाश सोनी	अलवर	30/03/91	BC	F	सीएचसी भिवाडी अलवर
12	भंवरलाल /डालचन्द	हनुमानगढ	10/06/75	BC	M	सीएचसी भादरा हनुमानगढ
13	सुदेश कुमार /मघाराम	गंगानगर	8/11/87	BC	M	सीएचसी नोखा बीकानेर

14	भूपसिंह यादव /तोताराम यादव	अलवर	26/03/78	BC	M	सीएचसी बाली, पाली
15	खूशबू /रामदेव चौधरी	जोधपुर	19/10/88	BC	F	सैटेलाईट चिकि0 पावटा, जोधपुर
16	दिनेश कुमार रैगर /रामनारायण रैगर	भीलवाड़ा	4/11/84	SC	M	सीएचसी आसीन्द भीलवाड़ा
17	हनुमानप्रसाद वलाई / भगवानसहाय	अलवर	20/06/77	SC	M	पीएमओ डूंगरपुर
18	दिनेश कुमार /रतन सिंह	भरतपुर	25/10/78	SC	M	सीएचसी भीम, राजसमन्द
19	वजरंगलाल मीणा /वुद्वाराम मीणा	अलवर	1/06/79	ST	M	सीएचसी भीण्डर, उदयपुर
20	अनिल मीणा /प्रहलादकुमार मीणा	बारां	1/05/83	ST	M	सीएचसी अटरू, बारां

उपरोक्त उल्लेखित अभ्यर्थी अपनी उपस्थिति संबंधित अधिकारी को दिनांक 14.3.2011 तक आवश्यक रूप से देवें। उपस्थिति के समय मूल शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र/जाति प्रमाण पत्र/स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (फिजिकल फिटनेस प्रमाण पत्र), दिनांक 22.5.06 से पूर्व यदि विवाह हुआ हो तो शपथपत्र एवं दिनांक 22.5.06 के पश्चात हुए विवाह के लिए विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र, दो चरित्र प्रमाण पत्र जो अलग–अलग राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित किये गये हो, प्रस्तुत करने होगें। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत मूल प्रमाण पत्रों को आवेदन पत्र में संलग्न प्रमाणपत्रों की प्रति से मिलान करें । इन प्रमाण पत्रों की जांच एवं सही पाये जाने की संतुष्टि पश्चात ही अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करावे। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में यदि अनियमितता पाई जाये तो प्रकरण तुरन्त निदेशालय को भिजवाये। कार्यग्रहण की अन्तिम तिथि 14.3.2011 तक कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे। आपराधिक दोष सिद्धि न होने का प्रमाण पत्र (पुलिस वैरीफिकेशन) संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक के द्वारा जारी किया गया हो, प्राप्त होने पर ही अभ्यर्थी को कार्यग्रहण कराया जावेंगा । आचरण संदिग्ध अथवा दोष सिद्धि के कारण सजा होने की स्थिति में कार्यग्रहण न कराकर प्रकरण पूर्णरूप से तैयार कर मय दस्तावेजात के साथ अग्रिम आदेशार्थ संबंधित अधिकारी द्वारा निम्न हस्ताक्षरकर्ता को प्रेषित किये जायेंगे ।

चयनित अभ्यर्थी कार्यग्रहण से पूर्व संबंधित अधिकारी को शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि यदि कोई प्रमाण पत्र/दस्तावेज फर्जी संदिग्ध अथवा परिवर्तित किया हुआ पाया गया तो उसे सेवा से पृथक किया जा सकेगा तथा वह आपराधिक दण्डिक कार्यवाही का भागी होगा । किसी भी अभ्यर्थी का कोई भी पात्रता संबंधी दस्तावेज या प्रमाण पत्र बाद सत्यापन असत्य/फर्जी पाये जाने पर उसके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।

दिनांक 1.6.2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक संतान नही होने का शपथपत्र 10 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर जो नोटरी पब्लिक द्वारा सत्यापित किया गया हो, उपस्थिति रिपोर्ट के साथ उपरोक्त उल्लेखित शर्तो को पूर्ण करते हुए प्रस्तुत करना अनिवार्य है, इसके अभाव में अभ्यर्थी नियुक्ति का पात्र नहीं माना जावेगा ।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज0 जयपुर

क्रमांकः–ई–33/ने0स0/एम–68/नियु/2011/98 दिनांकः– 14-3-11

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1– निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री/राज्यमंत्री महोदय, राज0 जयपुर ।
2– निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0 जयपुर ।
3– निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राज0 जयपुर ।
4– उप शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–3) विभाग, राज0 जयपुर ।

5— निदेशक, जन स्वास्थ्य/एड्स/प0क0 मुख्यालय ।
6— वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय ।
7— संयुक्त निदेशक योजना मुख्यालय ।
8— समस्त संयुक्त निदेशक, चिकि0 एवं स्वा0 सेवाएं जोन
9— समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान ।
10—समस्त संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान को भेजकर लेख है कि पद उपलब्ध नहीं होने पर कार्यगहण नहीं करवाया जावे एवं निदेशालय को अवगत करवाया जावे। आपके अधीन पदस्थापित किए गए अभ्यर्थियों के मूल आवेदन पत्र रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये जा रहे है। आप आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेजों को मूल शैक्षणिक, तकनीकी एवं अन्य समस्त प्रमाण पत्रों से मिलान कर सही पाये जाने एवं पूर्णतया संतुष्ट होने के उपरान्त ही नियुक्ति आदेश में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत कर्तव्य पर लेवें । यदि किसी दस्तावेज की प्रामाणिकता संदिग्ध पायी जावे तो उन मामलों में स्पष्ट रिपोर्ट के साथ प्रकरण इस निदेशालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु अभिशंषा सहित अग्रेषित करें । इसके अतिरिक्त यह भी निर्देश दिये जाते है कि कार्यग्रहण उपरान्त भी शैक्षणिक एवं तकनीकी प्रशिक्षण संबंधी दस्तावेजों का सत्यापन 30 दिवस की अवधि में संबंधित राज्य के बोर्ड/संस्थान में वाहक भेजकर आवश्यक रूप से करवाया जावे। अभ्यर्थी को मूल दस्तावेज इसके पश्चात ही लौटाये जावे एवं सत्यापन की रिपोर्ट भी अविलम्ब निदेशालय को भेजे । इस प्रकिया में हुई किसी भी अनियमितता के लिए आपका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा ।
11—जन सम्पर्क अधिकारी, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि नेत्र सहायक पद पर चयनित अभ्यर्थियों के पदस्थापन का समाचार राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का श्रम करें।
12—प्रभारी, सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त सूची विभागीय वैबसाईट पर अपलोड करने का श्रम करें।
13—श्री/श्रीमती/सुश्री.............................. को उनके द्वारा आवेदन पत्र में अंकित पते पर पालनार्थ ।
14—आदेश/रक्षित पत्रावली ।

अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं
राज0 जयपुर